प्रेसनोट, दिनांक 06.10.2025
थाना अजगैन,
जनपद उन्नाव

थाना अजगैन पुलिस ने साइबर फ्रॉड से जुड़े तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, एक बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में

पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड से जुड़े तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण मे लिया गया।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 05.10.2025 को श्री नन्हकऊ प्रसाद पुत्र सरदार नि0 भवानीपुर कुशुम्भी थाना अजगैन जनपद उन्नाव द्वारा थाना अजगैन पर तहरीरी सूचना दी गई कि मै नन्हकऊ प्रसाद पुत्र सरदार निवासी ग्राम भवानीपुर पोस्ट कुशुम्भी थाना अजगैन जनपद उन्नाव का रहने वाला हूँ मेरे द्वारा अमित पुत्र सरजू से कहा गया कि मेरे खाते की पास बुक की फोटो खीच कर मेरे लडके के पास भेज दो जो कि कुछ दिन तक उसने अपने फोन में रखे रहा, फिर अमित ने मेरे खाते में दिनांक 06.09.2025 को पचीस -2 हजार करके चार बार मे एक लाख रूपये कही से भिजवाये फिर हमसे आकर कहने लगे मेरा आप के खाते में एक लाख रूपये आये है जो कि हमसे कहा कि मेरे पिता का सरकारी पैसा है उसे चलकर निकलवा दो तत्पश्चात अगली दिनांक 09.09.2025 को जाकर सरजू प्रसाद के खाते पर एक लाख रूपये ट्रांसफर करा दिया। जव मै अपना पैसा निकालने बैंक गया तो पता चला कि मेरे खाते पर होल्ड लगा है फिर हमने सरजू प्रसाद के घर जाकर वताया कि एक लाख रूपये खाते में वापस करो मेरे खाते में तव दिनाँक 30.09.2025 को सरजू प्रसाद के द्वारा चेक के माध्यम से एक लाख रूपये वापस किया बैंक मैनेजर के द्वारा वाताया गया कि आप के खाते पर साइबर फ्राड को पैसा आ गया है सर जब मैने अमित से पूछा कि तुमने मेरे खाते में गलत पैसा क्यो मगया तब अमित ने कहा कि हम दनिश पुत्र सुल्तान निवासी सर्वेदयनगर थाना गाजीपुर जिला लखनऊ अमान पुत्र जावेद निवासी पल्टन थाना मडियव जनपद लखनऊ, वंश पुत्र अरूण रस्तोगी निवासी करमंचल नगर निगम थाना गाजीपुर लखनऊ, अंकुश पुत्र जमुना राजपूत निवासी सुरेश नगर थाना अजगैन जनपद उन्नाव, राहुल उर्फ

अजय शर्मा पुत्र देवी शंकर निवासी सुरेशनगर नवाबगंज थाना अजगैन उन्नाव कहा हम सभी मिलकर खाता मे पैसा मगांकर कमीशन लेते है। यह पैसा साइबर फ्राड करके मगाया जाता है यह वात अमित पहले बताया था आज दिनांक 05.10.2025 को समय लगभग 11 वजे दिन में मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेरे पडोसी सरजू को तीन लडके जवर जस्ती गला दबाते हुए धमकी दे रहे थे कि एक लाख रूपये जो तुमरे लडके ने खाते में लिया है उसे दो नही तो जान से मार देगें। जव कि साहब 6.9.2025 को ये लोग धमका डराकर एक लाख रूपये सरजू से ले चुके है। साहब किसी तरह सरजू की जान वचाई गयी साहब ये लोग खतरनाक लोग है मेरे खाते में एक लाख रूपये सीज है हमे डर है कि ये लोग हमे भी जान से न मार दे अमित भी इन लोगो के साथ मिला हुआ है इनके खिलाफ कार्य वाही करके मेरे जान मान की रक्षा करें। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अजगैन पर मु0अ0सं0 456/2025 धारा 111/319(2)/318(4)/308(5) BNS पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 06.10.2025 को थाना अजगैन पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित अभियुक्तगण 1- अमित पुत्र सरजू प्रसाद नि0 भवानीपुर थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष 2- अंकुश पुत्र जमुना प्रसाद नि0 सुरेश नगर थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष 3- राहुल शर्मा पुत्र देवी शंकर निवासी सुरेश नगर थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 37 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस सरंक्षण मे लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1-अमित पुत्र सरजू प्रसाद नि0 भवानीपुर थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष।

2-अंकुश पुत्र जमुना प्रसाद नि0 सुरेश नगर थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष।

3-राहुल शर्मा पुत्र देवी शंकर निवासी सुरेश नगर थाना अजगैन जनपद उन्नाव उम्र करीब 37 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. वरि0 उ0नि0 श्री मोर मुकुट पाण्डेय
2. का0 पुष्पेन्द्र सिंह
3. का0 बलराम गोस्वामी
4. का0 रोहित कुमार सिंह
5. का0 पवन कुमार
6. का0 योगेश सिंह

प्रेसनोट, दिनांक 06.10.2025
थाना फतेहपुर चौरासी,
जनपद उन्नाव

नबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 09.08.2025 को थाना फतेहपुर चौरासी पर मु0अ0सं0 312/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 87,98,99 B.N.S. व 16/17(3) पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। आज दिनांक 06.10.2025 को थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त कपिल मौर्या उर्फ खफील उम्र 27 वर्ष पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम झाझमऊ थाना सण्डीला जनपद हरदोई वर्तमान पता मोहल्ला मल्लपुर दुबग्गा थाना ठाकुरगंज जिला लखनऊ को ग्राम नासिरपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. कपिल मौर्या उर्फ खफील उम्र 27 वर्ष पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम झाझमऊ थाना सण्डीला जनपद हरदोई वर्तमान पता मोहल्ला मल्लपुर दुबग्गा थाना ठाकुरगंज जिला लखनऊ उ0प्र0।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री बाबूराम
2. का0 विष्णुदयाल

प्रेसनोट, दिनांक 06.10.2025
थाना सोहरामऊ,
जनपद उन्नाव

जुंआ खेल रहे 05 अभियुक्त गिरफ्तार, 52 ताश के पत्ते व जुंआ राशि 14930 रु0 बरामद

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा जुंआ खेल रहे पांच अभियुक्तो को कब्जे से जुंआ राशि 14930 रु0 व 52 अदद ताश के पत्ते बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 05.10.2025 को थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा अभि0गण 1.प्रदीप कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम हीराखेडा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष, 2.राजेश कुमार पुत्र सन्तोष निवासी ग्राम हीराखेडा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष, 3. नीरज शाहू पुत्र संगम शाहू निवासी ग्राम सहरावा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 28 वर्ष, 4. रितेश पुत्र सुखलाल निवासी ग्राम भटगांव पाडे थाना बन्थरा जनपद लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष, 5. अतुल पुत्र पप्पू निवासी ग्राम रसूलपुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष घटना स्थल- ग्राम उसरी खेडा के पास नीम के पेड़ के नीचे ग्राम उसरी खेडा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव को कब्जे से माल फड़ 52 अदद ताश के पत्ते व 12800 रु0 तथा जामा तलाशी 2130 रु0 बरामद कर गिरफ्तार किया गया। । जिसके सम्बन्ध में थाना सोहरामऊ पर मु0अ0सं0- 276/2025 धारा- 13 जुंआ अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.प्रदीप कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम हीराखेडा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 27 वर्ष
2.राजेश कुमार पुत्र सन्तोष निवासी ग्राम हीराखेडा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 22 वर्ष
3. नीरज शाहू पुत्र संगम शाहू निवासी ग्राम सहरावा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 28 वर्ष
4. रितेश पुत्र सुखलाल निवासी ग्राम भटगांव पाडे थाना बन्थरा जनपद लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष
5. अतुल पुत्र पप्पू निवासी ग्राम रसूलपुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी-

52 अदद ताश के पत्ते व माल फड़ 12800 रु0 तथा जामा तलाशी 2130 रु0 बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री बाबूराम
2.का0 विष्णुदयाल

प्रेसनोट, दिनांक 06.10.2025

थाना गंगाघाट,

जनपद उन्नाव

हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 31/08/2025 को मुकदमा वादी श्री सोनू पुत्र स्व0 राजाराम निवासी गगनीखेडा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 31/08/2025 को समय लगभग 9.30 बजे रात मै अपने दादा स्व0 चन्द्रिका निषाद की दुकान तक गया था पीछे से मेरा पुत्र अजीत भी मेरे पास चला आया मुझे जान से मार देने की घात लगाये बैठे अशोक व विनोद निषाद पुत्रगण हीरालाल अशोक का भान्जा सूरज व लल्लू पुत्र सत्यनारायन अमित पुत्र रामबाबू निवासीगण गगनीखेडा व सुरेश निषाद उर्फ पाण्डा पुत्र मनोहर निषाद निवासी मन्सुखखेडा तथा अन्य दो लोग अज्ञात जिन्हे मै पहचान नहीं सका मुझे जान से मार देने की नियत से मुझे ललकारा और फायर कर दिया फायर मुझे न लगकर मेरे पुत्र अजीत को लग गयी गोली लगते ही सभी लोग भग गये। मै शोर मचाते हुए अपने पुत्र को उठाकर जिला अस्पताल उन्नाव लाया जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0 535/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109/103(1) बीएनएस बनाम 1.अशोक, 2.विनोद निषाद पुत्रगण हीरालाल, 3.अशोक का भांजा सूरज, 4.लल्लू पुत्र सत्यनारायन, 5.अमित पुत्र रामबाबू निवासीगण गगनीखेडा व 6.सुरेश निषाद उर्फ पाण्डा पुत्र मनोहर निषाद निवासी मन्सुखखेडा, 7.अन्य दो लोग अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अशोक पुत्र हीरालाल निवासी गगनी खेडा गंगाघाट उन्नाव को पुलिस मुठभेड में दिनांक 01.09.2025 को मय नाजायज असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। दिनांक 02.09.2025 को नामित अभियुक्त विनोद पुत्र हीरालाल निवासी गगनी खेडा गंगाघाट उन्नाव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दिनांक 02.09.2025 को मुकदमा वादी के मजीद बयान व मुकदमा वादी के भाई जितेन्द्र पुत्र स्व0 राजाराम उम्र करीब 35 वर्ष निवासी गगनी खेडा गंगाघाट जनपद उन्नाव के बयानों व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण 1.नक्का पुत्र जुगाडी निवासी चम्पापुरवा गंगाघाट उन्नाव, 2.सुनील पुत्र किशन निवासी गगनी खेडा गंगाघाट उन्नाव, 3.राकेश (अमित का शाला) निवासी चम्पापुरवा, 4.दीपक सविता पुत्र रमेश निवासी चम्पापुरवा, 5.साकेत पाल पुत्र हेमराज पाल निवासी सम्भरखेडा देवाराकला थाना गंगाघाट उन्नाव, 6.शुभम गौतम उर्फ सत्या उर्फ RDX पुत्र गौरीशंकर गौतम निवासी सम्भरखेडा देवाराकला गंगाघाट उन्नाव, 7.धनन्जय सिंह पुत्र मेघनाथ सिंह निवासी देवाराकला थाना गंगाघाट उन्नाव, 8.शिवशंकर दुबे पुत्र दिनेश दुबे निवासी कृष्णानगर अम्बिकापुरम गंगाघाट उन्नाव के नाम प्रकाश में आये व धारा 3(5) बीएनएस बृद्धि की गई। मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.शुभम गौतम उर्फ सत्या उर्फ RDX पुत्र गौरीशंकर

गौतम उम्र करीब 26 वर्ष निवासी सम्भरखेडा देवाराकला गंगाघाट उन्नाव, 2.धनन्जय सिंह पुत्र मेघनाथ सिंह उम करीव 21वर्ष निवासी देवाराकला थाना गंगाघाट उन्नाव, 3.सुनील पुत्र किशन उम्र 26 वर्ष निवासी गगनी खेडा गंगाघाट उन्नाव, 4.दीपक सविता पुत्र रमेश उम्र करीब 25 वर्ष निवासी चम्पापुरवा थाना गंगाघाट उन्नाव को गिरफ्तार कर दिनांक 03.09.2025 को जेल भेजा गया। दिनांक 04.09.2025 को अभियुक्त साकेत पाल पुत्र हेमराज पाल निवासी सम्भरखेडा देवाराकला थाना गंगाघाट उन्नाव को पुलिस मुठभेड में मय नाजायज असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त अमित पुत्र रामबाबू निवासी जगनीखेडा गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा दिनांक 04.09.2025 को व अभियुक्त सूरज पुत्र किशन निवासी गगनीखेडा गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा दिनांक 01/10/2025 को आत्मसमर्पण किया गया। आज दिनांक 06/10/2025 को वांछित अभियुक्त नक्का पुत्र जुगाडी निवासी चम्पापुरवा गंगाघाट उन्नाव निवासी चम्पापुरवा गंगाघाट उन्नाव को नेतुआ मोड फ्लाई ओवर के पास से गिरफ्तारकिया गया है। अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. नक्का उर्फ उमेश निषाद पुत्र रामसजीवन उर्फ जुगाडी निवासी मोहल्ला चम्पापुरवा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक फूल सिंह
2. उ0नि0 रविन्द्र नाथ चौबे
3. हे0का0 सुशील कुमार-2
4. का0 विकल कुमार

प्रेसनोट, दिनांक 06.10.2025
थाना गंगाघाट,
जनपद उन्नाव

हत्या के आरोपी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण मे लिया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.08.2025 को मुकदम वादी श्री पीर मोहममद पुत्र स्व0 मो0 जलील नी0 यूपी टेनरी मलिन बस्ती थाना जाजमऊ कानपुर नगर हाल पता 16 बिगहा थाना गंगाघाट उन्नाव द्वारा थाना गंगाघाट पर तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 6/8/2025 की समय करीब 09.00 बजे रात्री में कमल हसन व कमल हसन का मामा भूरे , मनीस , एजाज और कुछ अज्ञात लोग नैकानी के बिल्डिग के पीछे आए और मेरे लडको नवाब उर्फ फैस आलम , सुल्तान आलम को मिलने के लिए बुलाया और पुरानी रंजिस को लेकर दोनों लडकों को जान से मारने कि नियत से चाकू से गोद कर बुरी तरह से घायल कर दिया दोनों लडकों को इलाज के लिए अस्पताल ले गये है इस सूचना पर थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0 465/25 धारा 109(1)/191(2)/191(3)/190 बीएनएस पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना ज्ञात हुआ कि मजरूब नवाब उर्फ फैज आलम को डाक्टरों नें इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया तथा मजरूब सुल्तान आलम का इलाज हैलट अस्पताल कानपुर में चल रहा था। तमामी साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1)/3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गई। मुकदमा उपरोक्त में नामित बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण मे लेकर बाल न्याय किशोर बोर्ड एवं अभियुक्त भूरे उर्फ छोटू पुत्र मुम्ताज निवासी 16 बीघा पीपर खेडा जाजमऊ गंगाघाट उन्नाव स्थाई पता तौरा थाना पुरवा जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष को दिनांक 08/08/2025 को मय आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। शेष वांछित चल रहे एक अन्य बाल अपचारी उम्र करीब 16 वर्ष को आज दिनांक 06/10/2025 को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस संरक्षण में लेने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 अजय कुमार सिंह
2. का0 कृष्णानन्द मौर्या
3. का0 अनूप कुमार
4. कां0 प्रिय प्रकाश